राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर.

क्रमांक :– 838 दिनांक :–23/12/16.

परिपत्र

राजस्थान आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं में नीलामी योग्य आवासों/फ्लेटों/आवासीय भूखण्डों की नीलामी सम्बन्धी प्रक्रिया की क्रियान्विति के दौरान, अधोवर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित करने हेतु सभी उप आवासन आयुक्तों/आवासीय अभियन्ताओं को एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है :–

1. आवासीय योजना में, आवास/फ्लेट आवण्टन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लेट आवण्टित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों, लम्बित नहीं हैं।

2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने सम्बन्धी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य का प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय सम्पदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014–15/37 दिनांक 17/06/2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।

3. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावे।

4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हो।

5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(signature) 23.12.16
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक.

प्रतिलिपी सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–माननीय अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0मं0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रथम/द्वितीय, रा0आ0मं0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0आ0मं0, जयपुर एवं जोधपुर.
5. उप आवासन आयुक्त (समस्त), रा0आ0मं0,––––––––––––––––––––.(समस्त).
6. आवासीय अभियन्ता (समस्त), रा0आ0मं0,––––––––––––––––––––. (समस्त).
7. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), रा0आ0मं0, जयपुर को उक्त परिपत्र की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी उप आवासन आयुक्तों/आवासीय अभियन्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषणार्थ।
8. सहायक निदेशक–जन सम्पर्क/प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, रा0आ0मं0, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(signature) 23.12.16
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक.